महत्वपूर्ण एवं खास

निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु प्रेक्षक एवं लाइजनिंग ऑफिसर नियुक्त

रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के आदेशानुसार नगर पालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2024-25 के लिए निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षित करने हेतु रायगढ़ जिले के नामनिर्दिष्ट प्रेक्षक की व्यवस्था एवं समन्वय हेतु लाइजनिंग आफिसर नियुक्त किए गए है। जिनमें दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर, जिला कार्यालय कोरबा को प्रेक्षक बनाए गए है। इसी तरह आशीष बाजपेयी, सहायक अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रायगढ़ मोबा. नं.07587457756 को लाइजनिंग ऑफिसर नियुक्त किए गए है।

सामान्य प्रशासन समिति एवं सामान्य सभा की बैठक 30 को

रायगढ़। जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल की अध्यक्षता में 30 सितम्बर 2024 को जिला पंचायत रायगढ़ के सभाकक्ष में प्रात: 11 बजे से सामान्य प्रशासन समिति की बैठक एवं दोपहर 2 बजे से सामान्य सभा की बैठक आयोजित की जाएगी।

जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास सारंगढ़ की भर्ती हेतु दावा आपत्ति 3 अक्टूबर तक आमंत्रित

सारंगढ़-बिलाईगढ़। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ़ के द्वारा भर्ती विज्ञापन जारी कर जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण (एचयूबी) अंतर्गत विभिन्न पदों (जिला मिशन समन्वयक, जेंडर विशेषज्ञ, वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ, कार्यालय सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर पीएम एमवीवाई एवं मल्टी टास्क स्टाफ) हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था। प्राप्त आवेदनों का सूक्ष्म मूल्यांकन कर जिला स्तरीय समिति द्वारा एक प्राविधिक अंतिम सूची जारी किया गया है। इस सूची में यदि किसी अभ्यर्थी को दावा आपत्ति हो तो वह कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग,जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़, आईसीआईसीआई बैंक के सामने, पटेल विला रायगढ़ रोड सारंगढ़ पिनकोड 496445 में 03 अक्टूबर 2024 तक कार्यालय समय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट के माध्यम से साक्ष्य सहित दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। मूल आवेदन के समय प्रस्तुत दस्तावेजों पर ही दावा आपत्ति मान्य किए जाएंगे। यह सूची सारंगढ़ बिलाईगढ़ डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन https://sarangarh-bilaigarh.cg.gov.in/en/notice_category/recruitment/ पर भी उपलब्ध है।

नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार

भिलाई-रायपुर (आरएनएस)। सुपेला क्षेत्र की रहने वाली बालिका अपने परिजन के साथ दिनांक 23.09.2024 को थाना सुपेला उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी की बालिका को रास्ते में आरोपी मासूम रंगारी द्वारा पीछा करते हुए हाथ पकडक़र छेड़छाड़ करने लगा। बालिका की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालो के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही के निर्देश प्राप्त है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर भिलाई) सुखनंदन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर सत्यप्रकाश तिवारी के मार्ग दर्शन में सुपेला पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी मासूम रंगारी को रेश्ने आवास सुपेला से घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी से पुछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकर किया। आरोपी को आज दिनांक 25.09.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया। इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक राजेश मिश्रा, उप निरी. दीपक सिंह चैहान, आर. रवि कुमार, गौरव पाण्डेय, विकास तिवारी का विशेष योगदान रहा।

धान फसल में कैसे करें समन्वित कीट प्रबंधन

रायगढ़

कृषि विज्ञान केन्द्र रायगढ़ के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ.बी.एस.राजपूत के मार्गदर्शन में केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ.के.के. पैकरा, डॉ. के.एल. पटेल, डॉ. एन.के. पटेल, द्वारा जिले के विभिन्न ग्रामों के किसानों के धान खेत का भ्रमण किया। जिसमें तना छेदक, भूरा माहों, गंधी कीट एवं पेनिकल माईट आदि कीट का किसानों के धान खेत में आक्रमण पाया गया। इस संबंध में उन्होंने धान फसल में समन्वित कीट प्रबंधन कैसे करें इस संबंध में जानकारी दी।

इन कीटों के पहचान एवं समन्वित प्रबंधन इस प्रकार है। तना छेदक इस कीट की इल्ली फसल की सभी अवस्था को नुकसान पहुँचाती है। इल्ली कंसे वाली अवस्था मे मुख्य तने पर आक्रमण करती है जिससे तना खुल नहीं पाता है और भुरूपन में बदलकर सुखा तना बनाती है। बाली अवस्था में यही इल्ली बाली के निचले हिस्से को काटकर सुखी बालीयॉ बनाती हैं। जिसमे पोंचे दाने होती है जो खीचनें पर असानी से बाहर निकल जाती है वयस्क मादा कीट के आगे पंख पीलापन लिए बीच में गहरा काला निशान होता है जबकि नर कीट छोटे भुरे रंग के होते है जो 31-40 दिन में अपना एक जीवन चक्र पूर्ण कर लेती है एवं वर्ष में 4-5 पीढियॉ पनपती है।

समन्वित प्रबंधन- प्रकाश प्रपंच लगाकर कीटों की उपस्थिति व संख्या सतत् निगरानी रखते हुए वयस्क कीटों को नष्ट कर दे। फिरोमोन ट्रेप 25 नग प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं व हर तीसरे सप्ताह पश्चात् सेप्टा बदलते रहें। अंडा समूह प्रति वर्ग मीटर या 10 प्रतिशत सूखा तना या 1 तितली प्रति वर्ग मीटर कीट प्रकोप होने पर दानेदार दवाईं फिपरोनिल 0.3 जी 20 किलो प्रति हेक्टेयर या क्लोरेंट्रेनिलीप्रोल 4 जी 10 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से रेत मे मिलाकर धान की नर्सरी/कंसा/गभोट अवस्था के समय डाले या क्लोरेंट्रेनिलीप्रोल 18.5 एस.सी को 150 मि.ली या फ्लबेन्डामाइड 480 एस.सी को 250 मि.ली या फिपरोलिन 5: एस.सी को 1000 मि.ली प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में मिला कर छिडकाव करे।

भूरा माहों-विपरीत परिस्थितियों मे इस कीट से 20-40 प्रतिशत तक फसल नुकसान का आंकलन किया गया है। इस कीट का प्रकोप कंसा अवस्था से बाली निकलने की अवस्था तक कीट के शिशु तथा व्यस्क पौधों के निचली सतह से रस चुसकर नुकसान पहुँचाती है। कीट प्रकोप की तीव्रता होने पर फसल गोलाई मे झुलसा हुआ सा प्रतीत होता है।

समन्वित प्रबंधन- संतुलित मात्रा में भूमि के प्रकार एवं किस्मों की अवधि के अनुसार नत्रजन, स्फुर एवं पोटाश उर्वरकों को 3:2:1 में देवें। 10-20 भूरा माहों प्रति पौध गुच्छा कीट प्रकोप होने पर इमिडाक्लोप्रीड 17.8 एस.एल. को 250 मि.ली प्रति हेक्टेयर या ब्यूप्रोफेजिन 25: एससी को 1000 मि.ली. प्रति हेक्टेयर या डाइनेटोफ्यरूान 20: एस.जी. 150-200 ग्राम प्रति हेक्टेयर या एसीटामिप्रिड 20: एस.पी. प्रति हेक्टेयर या ट्राइफ्लूमेजोपायरिम 10 एस.सी. का 235 मिली/हेक्टेयर या फ्लोनिकामिड 50 डब्लू. जी. का 150 ग्राम/हेक्टेयर की दर से 400-500 लीटर पानी में मिला कर, नोजल नीचे करते हुए सीधे कीटों (संपर्क विष) पर षाम के समय डालें।

गंधी कीट - इस कीट की शिशु व प्रौढ़ अवस्था दोनों ही कोमल पत्तियों, तने एवं दूधियावस्था में धान की बाली का रस चूसने के कारण धान की बालियों के दाने खोखले तथा हल्के हो जाते हैं एवं छिलके का रंग सफेद हो जाता है। धान की फसल को दुग्धावस्था (सितम्बर-अक्टूबर) में सर्वाधिक 20-25 प्रतिशत नुकसान होता है। इस कीट का आक्रमण होने पर खेतों से अवांछित गंध निकलती है जिसके कारण इसे गंधी कीट के नाम से जानते हैं।

समन्वित प्रबंधन- फसल क्षेत्र में प्रकाश प्रपंच लगाकर कीटों की उपस्थिति व संख्या सतत् निगरानी रखते हुए वयस्क कीटों को नष्ट कर दें। 15-20 बग या कीट प्रति वर्ग मीटर कीट प्रकोप होने पर एबामेंक्टिन 500 मिली या कार्बोरिल चूर्ण 30 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें।

पेनिकल माईट:-पेनिकल माईट नग्न ऑखों से दिखाई नहीं देता हैं। पर्णच्छद के अंदर इसे देखने के लिए न्यनूतम 20x हाथ के लेस की आवश्यकता होती है तापमान के आधार पर 7-21 दिन मे एक संपूर्ण जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। यह कीट अंकुर से लेकर फसल पकने तक प्रत्यक्ष रूप से पत्ती शिरा, पर्णच्छद व दाने को नुकसान करता है एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोगजनकों को बढ़ावा देती है जिससे बॉझ अनाज सिड्रोंम ढीला एवं भूरा पर्णच्छद मुड़ा हुवा गर्दन, खाली या आंशिक भरे दाने के साथ भूरे रंग के धब्बे के साथ विकृत दाने का विकास होता है। पर्णच्छद के नुकसान से पौधे की प्रकाश संष्लेषण एवं प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

समन्वित प्रबंधन- ग्रसित क्षेत्र मे फसल कटाई के बाद जुताई करें जिससे सर्दियों में फिर से नये पौधे न निकल पायें। ग्रसित क्षेत्रों मे धान के अलावा अन्य वैकल्पिक फसल को बदलकर लगायें। इसके लिए पहला छिड़काव गभोट आने के समय व दूसरा छिड़काव 2-3 बाली आने के स्थिति में हेक्साथियोजोक्स 5.45 प्रतिशत ईसी का 250 मि.ली. या प्रोपरजाइट 57 प्रतिशत ईसी का 500 मि.ली. या स्पायरोमेसिफेन 22.9 प्रतिशत एस.सी. का 150 मि.ली.या एबोमेक्टिन 1.8 प्रतिशत 100 मि.ली. प्रति एकड उपयोग करें। इनमें से किसी भी एक मकड़ीनाशक के साथ प्रोपीकोनाजोल 25 ईसी का 2 मि.ली. प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर सुबह या शाम के समय छिड़काव करना चाहिए।

लूटपाट मामले में घरघोड़ा पुलिस की त्वरित कार्यवाई : तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार, 10,500 रुपए बरामदग

रायगढ़

थाना घरघोड़ा में एक लूट की वारदात की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें ट्रेलर वाहन चालक दीपक कुमार विष्वकर्मा, पिता विनोद विष्वकर्मा, निवासी दुवाठ, थाना डुमरिया, जिला गया (बिहार) ने जानकारी दी कि दिनांक 23 सितंबर 2024 को वह एम.एल.पी.एल. कंपनी रायगढ़ के ट्रेलर वाहन क्र. सीजी-11-बी.एम.-5410 का चालक था। वह बरौद माइन से कोयला लोड कर टी.आर.एन. कंपनी भेंगारी में खाली कर, खाली ट्रेलर को अडानी कंपनी तमनार लेकर जा रहा था। रात्रि लगभग 2 बजे (24 सितंबर) शैतान चौक, घरघोड़ा के पास तीन अज्ञात व्यक्तियों ने उसकी गाड़ी

को रोककर, गाड़ी में घुसकर हाथ-मुक्का से मारपीट की और उसके पर्स से रु.15,000 की लूट कर फरार हो गए।

इस घटना पर थाना घरघोड़ा में अपराध क्रमांक 283/2024 के तहत धारा 309(4), 3(5) बी.एन.एस. के तहत अज्ञात आरोपियों पर मामला पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ की गई। मामला गंभीर होने के कारण थाना प्रभारी निरीक्षक अमित तिवारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वाहन चालक को मेडिकल के लिए भेजा। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार चोट सामान्य होने के कारण धारा 309(4) बी.एन.एस. को हटाकर धारा 126(2), 309(6) बी.एन.एस. को जोड़ा गया।

थाना प्रभारी और उनकी टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए संदिग्धों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया। मुखबिर की सूचना और त्वरित कार्रवाई के फलस्वरूप संदेही विवेक पैंकरा उर्फ बिट्टू, संजु पैंकरा और दिलीप निषाद, तीनों निवासी नावापारा, घरघोड़ा को हिरासत में लिया गया। आरोपियों से पूछताछ के बाद कार्यपालिक दण्डाधिकारी के समक्ष पीड़ित वाहन चालक द्वारा विधिवत पहचान कराई गई, जिसमें उन्होंने आरोपियों की पहचान स्पष्ट रूप से की।

पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट की रकम में से रु.10,500 बरामद की। विवेक पैंकरा उर्फ बिट्टू से रु.3,500, संजु पैंकरा से रु.4,000 और दिलीप निषाद से रु.3,000 रुपये जप्त किए गए। पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों (1) विवेक पैंकरा उर्फ बिट्टू, उम्र 20 वर्ष (2) संजु पैंकरा, उम्र 25 वर्ष (3) दिलीप निषाद, उम्र 28 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायालय में रिमांड पर भेजा गया है।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन तथा एडिशनल एसपी आकाश मरकाम व एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन पर इस त्वरित कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक अमित तिवारी, एएसआई राजेश मिश्रा, आरक्षक प्रेम राठिया, किशोर राठौर, राजेश राठौर की सराहनीय भूमिका रही।

स्वच्छता ही सेवा अंतर्गत एसबीआई द्वारा किया गया स्वच्छता मित्र सुरक्षा शिविर

सारंगढ़-बिलाईगढ़

स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम के अंतर्गत सारंगढ बिलाईगढ़ जिले के अग्रणी बैंक एसबीआई प्रबंधक सुरेश दमके के मार्गदर्शन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सभाकक्ष सारंगढ में स्वच्छता मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में स्वच्छता मित्र के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, सुरक्षा बीमा कैम्प, वितीय साक्षरता कैम्प का आयोजन किया गया। इस शिविर में 44 स्वच्छता मित्र का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया जिसमें 34 महिला एवं 10 पुरुष स्वच्छता मित्र ने लाभ लिए। शिविर में रक्त जाँच एव औषधि का वितरण किया गया। शिविर के लिए डॉ.आर.एल.सिदार खण्ड चिकित्सा अधिकारी सारंगढ एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा सारंगढ़ के मुख्य प्रबंधक लाल बाबू प्रसाद गुप्ता एवं नगरपालिका सारंगढ का सहयोग प्राप्त हुआ।

कलेक्टोरेट सारंगढ़ में मतदाता सूची के मुद्रण कार्य हेतु 30 सितम्बर तक निविदा आमंत्रित

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) धर्मेश कुमार साहू द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकायों के आगामी आम चुनावों के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची) के मुद्रण कार्य हेतु इच्छुक योग्य फर्मों से निविदा आमंत्रित किया गया है। निविदा प्रपत्र बिक्री की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2024 दिन सोमवार को अपरान्ह 3 बजे तक (कक्ष क्र.-27) है, जिसका निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2024 दिन सोमवार को अपरान्ह 4 बजे तक जिला कार्यालय के कक्ष क्र.-27 में रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीडपोस्ट द्वारा बन्द लिफाफा प्राप्त किया जाएगा) उप जिला निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में निविदा समिति एवं उपस्थित निविदाकारों के समक्ष निर्धारित 01 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को अपरान्ह 4 बजे तक निविदा खोली जाएगी। नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा प्रारूप एवं निविदा शर्तें कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) सारंगढ़- बिलाईगढ़ (कक्ष क्र.-27) से प्राप्त किया जा सकता है। इच्छुक निविदाकार शुल्क रूपये 100/- (शब्दों में एक सौ रूपये मात्र) कार्यालय में नगद जमा कर अथवा जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ की वेबसाईट सारंगढ़ बिलाईगढ़ डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन https:// sarangarh-bilaigarh.cg.gov.in/ से भी डाउनलोड कर निविदा प्राप्त कर सकते हैं। निविदा शुल्क रसीद के अभाव में निविदा अमान्य किया जाएगा।

बिहान के दीदियों ने ली गरीबी मुक्त गाँव का संकल्प : सामूहिक श्रमदान देकर विभिन्न जगहों की साफ-सफाई, एक पेड़ मां नाम के पर किया पौधरोपण

रायगढ़

अंत्योदय दिवस के अवसर पर आज बिहान की दीदियों ने गरीबी मुक्त गाँव का संकल्प लिया। जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) की दीदियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। जिले के ग्रामीण अंचल में गठित 13475 स्व-सहायता समूहों में सम्मलित लगभग 1,45,000 सदस्य दीदियों ने स्वच्छता का संदेश, एक पेड़ मां के नाम, गरीबी मुक्त ग्राम एवं अन्य विभागों के अभिशरण का लाभ हेतु कार्यक्रम आयोजित किए।

दीदियों ने ग्रामीण अंचल के प्रत्येक पंचायतों में सामूहिक श्रमदान देकर कचरा एकत्र होने वाले स्थानों की सफाई में सहयोग दिए। साथ ही धार्मिक स्थलों, विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों मे अपना श्रमदान देकर वृहद रूप से सफाई अभियान चलाया। कार्यक्रम में

लखपति दीदियों के गरीबी से बाहर आने के सफलता की कहानी का वाचन भी किया गया। इस दौरान ग्राम को और अधिक समृद्ध बनाने हेतु गरीबी मुक्त प्लान को ग्राम पंचायत विकास प्लान में शामिल किये जाने हेतु लक्ष्य बनाए गए। बिहान महिला समूहों की दीदियों ने पर्यावरण संरक्षण हेतु एक पेड़ माँ के नाम अंतर्गत पौधरोपण भी किए। सभी पंचायतों के संकुल एवं ग्राम संगठनों की दीदियों ने मिलाकर लगभग 3505 से ज्यादा पौधे लगाये एवं उसके संरक्षण करने की शपथ ली। हर संकुल संगठन, ग्राम संगठन एवं स्व-सहायता समूहों के दीदियों ने अपने और आस-पास तथा अपने पंचायतों को स्वच्छ एवं साफ.-सफाई युक्त रखने की शपथ ली और अपने गांव में दीवाल लेखन के जरिए लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक भी किया।

एडीजी प्रदीप गुप्ता ने ली राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की वर्चुअल समीक्षा बैठक

❐ सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के दिए निर्देश

रायगढ़

दिनांक 25.09.2024 को सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और प्रभावी कार्यवाही के संदर्भ में प्रदीप गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा वर्चुअल समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में संजय शर्मा, सहायक पुलिस महानिरीक्षक की उपस्थिति में सभी जिलों के यातायात प्रभारी और पर्यवेक्षक अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा कर रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करना था।

बैठक के दौरान हिट एंड रन मामलों पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें पीड़ित परिवारों को मुआवजा राशि शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए कागजी कार्यवाही पूरी कर दावा अधिकारियों को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, मुख्य मार्गों पर आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर विशेष टीम का गठन करने और पशुओं को मुख्य मार्गों से हटाने के निर्देश दिए गए। एडीजी गुप्ता ने “गुड सेमेरिटन” (अच्छे नागरिक) को प्रोत्साहित करने और सड़क किनारे होटल, ढाबा, और पान ठेला संचालकों को “सड़क सुरक्षा मितान” के रूप में गठित करने पर जोर दिया। इससे दुर्घटनाओं के दौरान गोल्डन ऑवर में पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी, जिससे जीवन बचाने में मदद मिलेगी।

बैठक में सड़क दुर्घटनाओं के वास्तविक कारणों का विश्लेषण कर उन्हें दूर करने के निर्देश दिए गए। यातायात जागरूकता सामग्री और उपकरणों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के साथ ही, राज्य स्तरीय IRad एप्लीकेशन में दुर्घटना संबंधी सभी प्रविष्टियां समय पर दर्ज करने पर भी जोर दिया गया।

इसके अलावा, वर्ष 2024 के लिए चिन्हित दुर्घटनाजन्य स्थलों (ब्लैक स्पॉट्स) का नियमित निरीक्षण, स्थानीय निवासियों को यातायात के प्रति जागरूक करने और नियमित प्रवर्तन कार्रवाई जारी रखने के निर्देश भी दिए गए। समीक्षा बैठक में जिला रायगढ़ से यातायात पर्यवेक्षण अधिकारी रमेश कुमार चंद्रा, उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायगढ़, IRad डीआरएम दुर्गा प्रसाद, और आरक्षक विजय सिदार वर्चुअल रूप से जुड़े।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसमपूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यका, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001
www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

साइबर और महिला सुरक्षा पर जागरुकता कार्यक्रम

सरदार वल्लभभाई पटेल उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल में बच्चों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन में सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत जिले में चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज दिनांक 25.09.2024 को रायगढ़ के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजनांतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम स्कूल में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को साइबर क्राइम और महिला सुरक्षा के बारे में जानकारी देना था।

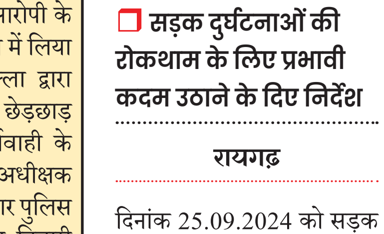

इस अवसर पर साइबर सेल और महिला रक्षा टीम द्वारा गुड टच-बेड टच, छेड़छाड़, अभिव्यक्ति ऐप, डायल 112, और साइबर क्राइम के विभिन्न पहलुओं पर बच्चों को जानकारी दी गई। महिला सेल की एएसआई मंजू मिश्रा ने बच्चों को महिला सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से समझाया। उन्होंने गुड टच-बेड टच, छेड़छाड़ से बचाव, अभिव्यक्ति ऐप और डायल 112 के उपयोग के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही, उन्होंने बच्चों को यह भी समझाया कि किसी भी असामान्य या अनुचित परिस्थिति में तत्काल पुलिस से सहायता कैसे ली जा सकती है। उन्होंने बच्चों को अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनने और साहसिक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया और बताया गया कि ऐसी किसी घटना पर पालकों को जानकारी दें और पुलिस की मदद लें।

साइबर सेल के प्रधान आरक्षक दुर्गेश सिंह ने बच्चों को साइबर क्राइम के खतरों और उनसे बचने के उपायों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने ऑनलाइन गेम, गूगल सर्च इंजन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम के सुरक्षित उपयोग पर सरल और प्रभावी तरीके से चर्चा की। दुर्गेश सिंह ने बताया कि कैसे अनजान व्यक्तियों से फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर चैटिंग या वीडियो कॉल्स के माध्यम से संपर्क में आने से खतरे पैदा हो सकते हैं। उन्होंने बच्चों को इंटरनेट पर सुरक्षा बनाए रखने और संदिग्ध गतिविधियों से सावधान रहने की महत्वपूर्ण बातें बताई।

इस कार्यक्रम में महिला सेल की प्रधान आरक्षक मालती कंवर और साइबर सेल के आरक्षक नवीन शुक्ला ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया और बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बच्चों से बातचीत करते हुए उन्हें उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक किया, साथ ही ऐसी किसी भी समस्या के समाधान के लिए पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया।